भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 935
13 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

गहन जल मत्स्यन योजना

935. श्री मद्दीला गुरुमूर्तिः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन औरडेयरीमंत्री** यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) गहन जल मत्स्यन योजना के तहत की गई प्रगति काब्यौरा क्या है, जिसे भारत और श्रीलंका के बीच उत्पन्न होने वालेविवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से ट्रॉलरों के स्थान पर गहरेसमुद्र में मछली पकड़ने वाली 2,000 नौकाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के प्रभाव के संबंध में कोईराज्य-वार आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तोइसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान तत्कालीन केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत लागू की गई "नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन" के अंतर्गत कुल 73,440 लाख रु/- की लागत से पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 918 जहाज खरीदने के लिए विभिन्न तटीय राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31209.51 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी । इसमें तमिलनाडु को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 750 जहाजों का अनुमोदन शामिल है जो कि पाल्क खाड़ी में चल रहे ट्रॉलरों को बदलने हेतु दिया गया था ताकि पाल्क खाड़ी को डी कंजेस्ट किया जा सके और उन नावों को गहरे समुद्र में जाने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

मछली पकड़ने के प्रयासों में विविधीकरण और भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में चल रही प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के अधिग्रहण में दी जाने वाली सहायता को जारी रखा गया है। पीएमएमएसवाई के तहत, पिछले दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) और वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विभिन्न तटीय राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है और कुल 51120 लाख रु/- की लागत से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 426 जहाहों की खरीद के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी 14332 लाख रु/- की राशि स्वीकृत की गई है ।

उपर्युक्त योजना के तहत अनुमोदित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है। चूंकि योजना अभी भी चल रही है, अत: इसके प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

*****

अनुबंध

13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 935 के उत्तर में उल्लिखित विवरण - वित्तीय वर्ष 2017-20 के दौरान "नीली क्रांति पर केंद्र प्रायोजित योजना: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन" और वित्त वर्ष 2020-23 के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों का राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2017-20 के दौरान नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन			वित्त वर्ष 2020-23 के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना		
		गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए सहायता (संख्या)	मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी राशि (रु/- लाख में)	कुल परियोजना लागत (रु/- लाख में)	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए सहायता (संख्या)	मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी राशि (रु/- लाख में)	कुल परियोजना लागत (रु/- लाख में)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	02	32.95	160.00	5	264.00	600.00
2	आंध्र प्रदेश	12	233.28	960.00	50	1526.40	6000.00
3	दमन और दीव	05	144.00	400.00	-	-	-
4	गोआ				**20**	**720.00**	**2400.00**
5	गुजरात	145	2610.88	11600.00	150	4770.40	18000.00
6	कर्नाटक	-	-	**-**	**114**	**3542.40**	**13680.00**
7	केरल	-	-	**-**	**10**	**288.00**	**1200.00**
8	लक्षद्वीप	-	-	**-**	**10**	**720.00**	**1200.00**
9	महाराष्ट्र	-	-	**-**	**7**	**288.00**	**840.00**
10	ओडिशा	04	38.40	320.00	5	172.80	600.00
1 1	पुदुचेरी	-	-	**-**	**5**	**312.00**	**600.00**
12	तमिलनाडु	750	28150.00	60000.00	**50**	**1728.00**	**6000.00**
कुल		**918**	**31209.51**	**73440.00**	**426**	**14332.00**	**51120.00**

*****